न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा

बईजलास श्री आलोक जैन (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 835/2018

उनवान

1– शान्तिलाल पहाडिया पिता सोहनलाल खटीक निवासी– मकान नं–145 रमाविहार, भीलवाडा ।

– प्रार्थी

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरडा तहसील हुरडा ।

–विपक्षी

उपस्थित :– श्री मोहम्मद निशार, वकील प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) , राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–:आदेश:–

दिनांक– 27.05.2019

1– प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि ग्राम नंगा जी का खेडा पटवार हल्का रुपाहेली तहसील हुरडा में आराजी नम्बर– 970/511 रकबा 09 रकबा 19 बिस्वा प्रार्थी के खाते में दर्ज स्थित है।

2– ग्राम नंगा जी का खेडा पटवार हल्का रुपाहेली तहसील हुरडा में आराजी नम्बर– 511 रकबा 42 बीघा 07 बिस्वा भूमि राजस्थान सरकार विपक्षी के नाम पर दर्ज स्थित चली आ रही है।

3– प्रार्थी की उपर वर्णित आराजी के पश्चिमी दिशा की और विपक्षी की आराजी स्थित है व विपक्षी की आराजी के पश्चिम दिशा की और रास्ता है, प्रार्थी अपनी आराजी में आने जाने हेतु व कृषि यन्त्र को लाने ले जाने हेतु रास्ता बाद विपक्षी की आराजी का उपयोग उपयोग कर रहा था।

उपखण्ड अधिकारी
गुलाबपुरा (जिला-भीलवाड़ा)

4– विपक्षी के द्वारा उक्त आराजी जो कि प्रार्थी की आराजीयात के पश्चिमी दिशा की और है विपक्षी की आराजी का उपयोग उपभोग व आने जाने से ग्रामवासियों के द्वारा रोक दिया है तथा रास्ता बन्द कर दिया, जिससे प्रार्थी को अपने खाते की आराजी में आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है

Scanned by CamScanner

विपक्षी की आराजी में से होकर आने जाने के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता स्थित नही है। प्रार्थी को उसकी आराजी पर कृषि यन्त्र टेक्टर बेल गाडी फसल इत्यादि लाने व अन्य साधन ले जाने में रोक टोक करने से काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है जिससे नही आने जाने देने से प्रार्थी को अपनी आराजी में फसल काश्त करने से व उसकी देखरेख करने व सिंचाई करने में काफी कठिनाई महसूस हो रही है।

5– विपक्षी की आराजी नम्बर– 511 रकबा 42 बीघा 07 बिस्वा है, जिससे प्रार्थी उक्त आराजी में से होकर अपनी आराजी पर पहुँचने का सबसे सुलभ रास्ता है व इसके अलावा प्रार्थी के पास अपनी आराजी में आने जाने हेतु किसी प्रकार का कोई रास्ता उपलब्ध नही है विपक्षी की आराजी में आने जाने से रोकने के कारण प्रार्थी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड रहा है।

6– प्रार्थी अपनी उपर विर्णत आराजी में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर– 511 रकबा 42 बीघा 07 बिस्वा को नजरी नक्शें के अनुसार प्रार्थी को अपने कृषि यन्त्र, फसल इत्यादी लाने ले जाने हेतु 30 फीट चौडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है जो प्रार्थी को अपनी आराजी पर जाने हेतु अत्यधिक आवश्यकता है व प्रार्थी के पास इसके अलावा अपनी जोत पर जाने का कोई अन्य विकल्प रास्ता नही है तथा रास्ता प्राप्त करने के लिए प्रार्थी न्यायालय के आदेशों व शर्तो को मानने को तेयार है ।

7– अन्त में अंकित किया गया कि प्रार्थी ग्राम नंगा जी का खेडा पटवार हल्का रुपाहेली तहसील हुरडा में स्थित विपक्षी की आराजी नम्बर– 511 रकबा 42 बीघा 07 बिस्वा में से प्रार्थी की आराजी नम्बर– 970/511 में आने जाने हेतु प्रस्तावित नक्शें के अनुसार रास्ते से प्रार्थी की आराजी में आने जाने हेतु 30 फीट का चौडा रास्ता नजरी नक्शें के अनुसार दिलाया जाने का आदेश प्रदान करावें ।

8– प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर विपक्षी के पैरोकारराज उपस्थित रहे, तथा उनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया । तत्पश्चात तहसीलदार हुरडा से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

उपखण्ड अधिकारी
गुलाबपुरा (जिला-भीलवाड़ा)

9– तहसील हुरडा ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2019/3435/ दिनांक 28.03.2019 से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो शामिल पत्रावली है।

10 वकील प्रार्थी के द्वारा प्रकरण में बहस सूने जाने की इस्तदुआ करने पर वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सूनी गई, वक्त बहस वकील प्रार्थी का कथन था कि आराजी मुतदाविया प्रार्थी

Scanned by CamScanner

के खातेदारी कब्जेकाश्त की आराजीयात है, प्रार्थी की आराजीयात के पश्चिम दिशा की और विपक्षी की आराजीयात है जिसके पश्चिम दिशा की और रास्ता है और इसी आराजीयात में से होकर प्रार्थी अपनी आराजी में आता जाता था, किन्तु ग्रामवासियों के द्वारा उक्त रास्ता बन्द कर दिया गया, जिससे प्रार्थी को अपने खाते की आराजी में आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है, वकील प्रार्थी ने यह भी कथन किया कि विपक्षी की आराजी में से होकर आने जाने के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। अन्त में कथन किया कि तहसीलदार हुरडा की रिपोर्ट स्वीकार फरमाई जाकर प्रार्थी की आराजी में आने जाने हेतु 30 फीट चौडा रास्ता दिलाये जाने हेतु आदेश प्रदान करावें।

11 मैने वकील प्रार्थी की बहस को सूना। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विवेचन निम्न प्रकार से रहा है।

12 प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 मौजा नंगाजी का खेडा पटवार हल्का रुपाहेली तहसील हुरडा के अनुसार आराजी नम्बर– 970/511 रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा भूमि शान्तिलाल पहाडिया पिता सोहनलाल जाति खटीक निवासी भीलवाडा के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है।

13– यहां प्रार्थी का कथन है कि उनकी कृषि आराजियात मे आवागमन का कोई रास्ता नहीं है। विपक्षी की आराजीयात के पश्चिम दिशा की और रास्ता है। उक्त रास्ता प्रार्थी की आराजी में पहुँचनें का सबसे लघूतम रास्ता है इसके अलावा प्रार्थी के उनकी आराजीयात में आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है।

14– चूँकि तहसीलदार ने रिपोर्ट में अंकित किया गया कि प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है तथा प्रार्थी को अपने खातेदारी की भूमि में आने जाने के लिए वर्तमान में कोई रास्ता उपलब्ध नही है तथा आराजी नम्बर– 511 रकबा 42 बीघा 07 बिस्वा भूमि में से 03 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु दिया जाना प्रस्तावित किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
...पुरा (जिला-भीलवाड़ा)

15– ऐसी स्थिति मे प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार भी अत्यधिक आवश्यक प्रतीत हुआ है तथा अन्य दुसरा कोई विकल्प न होने के कारण न्यायालय यह उचित समझता है कि प्रार्थी को अपने खातेदारी भूमि पर आने जाने के लिए तहसीलदार हुरड़ा द्वारा प्रस्तावित रास्ता दिया जावें ताकि वह अपने खेतो पर आ जा सके कृषि कार्य कर सके। तद्नुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से यह आदेश सुनाया जाता है कि :

Scanned by CamScanner

–: आदेश :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मौजा नंगाजी का खेडा पटवार हल्का रुपाहेली तहसील हुरडा की आराजी नम्बर 511 रकबा 42 बीघा 07 बिस्वा मे से रकबा 03 बिस्वा जिसकी लम्बाई 317 फीट व चौडाई 08 फीट भूमि अप्रार्थी के खाते मे से कम की जाकर गै.मू. रास्ता सार्वजनिक बिलानाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है । अधिनियम की धारा–251 क के नियम–69(1) मे दिये गये प्रावधानानूसार राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम–58 के उप नियम (2) के अधिन अवधारित दरों (डी.एल.सी.) का दुगुनी राशि प्रार्थी के द्वारा जमा करायी जाने पर तहसीलदार हुरड़ा को तहरीर जारी की जावें । उप पंजियक हुरडा के द्वारा भूमि प्रतिकर की राशि 2,69,622/– रूपये होना बताया गया है । वकील प्रार्थी ने उक्त राशि जमा कराना चाहने से तहसीलदार हुरडा को लिखा जावें की प्रार्थी से भूमि प्रतिकर की राशि 2,69,622/– रूपये प्राप्त कर राज कोष मे जमा करावें तथा भूमि प्रतिकर की राशि जमा होने के पश्चात संलग्न नक्शा के अनुसार मौजा नंगाजी का खेडा पटवार हल्का रुपाहेली तहसील हुरडा की आराजी नम्बर 511 रकबा 42 बीघा 07 बिस्वा मे से रकबा 03 बिस्वा जिसकी लम्बाई 317 फीट व चौडाई 08 फीट भूमि अप्रार्थी के खाते मे से कम की जाकर गै.मू. रास्ता सार्वजनिक बिलानाम दर्ज किया जावें । पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । आदेश आज दिनांक 27.05.2019 को खुली अदालत में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा–भीलवाड़ा

(आलोक जैन)
उपखण्ड अधिकारी
गुलाबपुरा (जिला-भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner